e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 8, August 2022

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.118

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 8, August 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1108061 |

राजस्थान मे पंचायतीराज व्यवस्था एवं इसका सशक्तिकरण

प्रभुराम बामणियाँ

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

श्री डूंगरगढ़ महाविद्यालय, श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर) राजस्थान

सारांश :

प्राचीन काल से ही हमारे गांवों में पंचायतों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है । पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाई माना जाता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायतें हमारे संविधान का अंग तो बनीं लेकिन ग्रामीण विकास के मामलों में वे कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाई। अतीत में भारत में पंचायतें तो थीं, लेकिन वे लोकतांत्रिक नहीं थीं । इनमें समाज के उच्च वर्ग का ही वर्चस्व था। लेकिन समय के साथ–साथ उनके स्वरूप और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होता गया। ब्रिटिश काल के प्रारंभिक दौर में पंचायतों को बड़ा धक्का लगा, लेकिन उन्नीसवीं सदी के अंत से भारत को आजादी मिलने के बीच ब्रिटिश काल में पंचायतों के ऊपर कुछ ध्यान दिया गया। लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव, 1909 का रॉयल आयोग आदि विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। बलवंत राय मेहता (1957), अशोक मेहता (1978) तथा जी.के.वी राव (1985) समितियों ने पंचायतों को अधिकार संपन्न किए जाने की सिफारिश की परंतु स्थिति में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया । प्रस्तुत शोध पत्र मे राजस्थान राज्य मे पंचायती राज व्यवस्था के संगठन, इसके प्रमुख कार्यो, विशेषताओं तथा राज्य सरकार द्वारा इस संस्थाओ को मजबूत करने हेतु जो प्रयास किए गए है आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

मूल बिंदु : स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण विकास, पंचायत सशक्तिकरण

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)
| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|
||Volume 11, Issue 8, August 2022||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1108061 |

प्रस्तावना :

पंचायती राज व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता हैं और सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता हैं जिससे राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकें। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जाती हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की एवं 11 अक्टूबर 1959 को आंध्रप्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात इसी तरह अनेक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का उदघाटन किया गया। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की सीमा में लाया जा सकें। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करने का उद्देश्य यह था कि सरकारी योजनाओं को दूर–दूर तक पहुचाया जा सकें। जिससे राष्ट्र का विकास तीव्र गति से हो। इसकी कुछ कमियो को पूरा करने हेतु 73वाँ संवैधानिक संशोधन किया गया। इस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग–9 अनुछेद 243 एवं अनुसूची–11 में किया गया।

73वाँ संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषता :

- इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राज्य मे त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान रखा गया।
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायती समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई।
- पंचायती राज में महिलाओं को एक तिहाई हिस्सा प्रदान किया गया।
- पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया।

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 8, August 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1108061 |

पंचायती राज व्यवस्था का संगठन :

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता हैं। इसे ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिले स्तर पर जिला परिषद होती हैं–

- **ग्राम पंचायत :**

  ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर हेतु किया जाता हैं। जिसका लक्ष्य किसी निश्चित क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना होता हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता हैं। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा किया जाता हैं। ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता हैं जिसे ग्राम पंचायत का मुख्या भी कहा जाता हैं।

- **पंचायत समिति :**

  पंचायत समिति ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ में स्थित समिति हैं। इस समिति में अनेकों संवैधानिक पद पर नियुक्त व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्यक्षेत्र तहसील व ब्लॉक स्तर पर होता हैं। इस समिति में हर पांच वर्ष के पश्चात चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। इसके सदस्यों में लोकसभा के सदस्य,विधानसभा के सदस्य, नगरपालिका, समस्त प्रधान,अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य आदि होते हैं। इस समिति का सचिव पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता हैं।

- **जिला परिषद :**

  यह श्रेष्ठ एवं उच्च्च परिषद के तौर पर कार्य करती हैं। इसका कार्य ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्यों को देखना एवं उनका आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन करना हैं। इस परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होता हैं। यह निचली समितियों को आवश्यक पड़ने पर अनुदान मोहैया करवाती हैं। इस परिषद में जिलाधिकारी (क्ड) की बेहद अहम भूमिका होती हैं। इस समिति में समस्त पंचायत समिति के प्रधान मुख्यतः सम्मिलित होते

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)
| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|
||Volume 11, Issue 8, August 2022||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1108061 |

हैं। अर्थात सम्पूर्ण जिले के प्रत्येक क्षेत्र से इन समितियों में अहम भूमिका निभा रहे सदस्य इस परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद पंचायती राज की उच्च इकाई के रूप में कार्य करती हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य निम्न समितियो के कार्यो एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होता हैं और राज्य सरकार व समितियों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना होता हैं।

पंचायती राज व्यवस्था के कार्य :

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न कार्य प्रमुखता से किए जाते है–

- **स्वास्थ संबंधित कार्य :**

  पंचायती राज व्यवस्था में विद्यमान समितियों का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ संबंधित योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन करना एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना व क्रियान्वयन करना होता हैं।

- **शिक्षा संबंधित कार्य :**

  ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना। निर्धन वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं छात्रवृति की उचित व्यवस्था करना होता हैं। विद्यालयों की मरम्मत करवाना एवं छात्रों की शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु कार्य करना।

- **कृषि एवं पशुपालन संबंधित कार्य :**

  ग्रामीण क्षेत्रों के जीवनयापन का सबसे बड़ा स्रोत कृषि व पशुपालन होता हैं। इसी महत्ता को देखते हुए पंचायत समितियों का यह कार्य है कि वह कृषि एवं पशुपालन की उचित व्यवस्था करें। किसानों को सभी सुविधाए प्रदान करें। जिससे वह अपना आर्थिक विकास कर सकें एवं इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करें।

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)
| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|
||Volume 11, Issue 8, August 2022||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1108061 |

पंचायती राज संस्थाओ को सशक्त बनाने हेतु उठाये गए कदम :

राजस्थान राज्य मे पंचायतीराज व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने हेतु राज्य सरकार अनेक प्रयास करती रही है। राज्य मे ये शासन व्यवस्था सुचारु रूप से करी करती रहे इस हेतु निम्न कदम सरकार द्वारा उठाए गए है–

- पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार
- किसान सेवा केंद्र की स्थापना
- विलेज नौंलेज सेंटर की स्थापना
- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना का संचालन
- नवाचार निधि योजना का संचालन
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का संचालन
- आदर्श ग्राम पंचायत और मिनी सचिवालय का गठन
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन
- पंचायत राज संस्थाओ के लिए निर्बंध कोष का गठन
- ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन
- शिक्षित होना अनिवार्य
- पंचायती राज के लिए संवैधानिक प्रावधानों का निर्माण एवं संचालन

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)
| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|
||Volume 11, Issue 8, August 2022||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1108061 |

निष्कर्ष :

भारत सदैव से ही कृषि प्रधान देश रहा हैं। भारत राष्ट्र की इस महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रो का विकास किया जाए। जिससे देश का विकास तीव्र गति से हो सकें एवं पंचायतीराज व्यवस्था इस संदर्भ मे समस्त क्षेत्रों मे महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपना कार्य निर्वहन कर रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. अग्रवाल जी. के. (1976) भारतीय सामाजिक संस्थायें, एस बीपीडी पब्लिशिंग आगरा।
2. गुप्ता एम. एल. तथा शर्मा डी. डी. (1989)सामाजिक संरचना एंव सामाजिक परिवर्तन, आगरा।
3. जोशी ओमप्रकाश (डॉ.) (1974), ग्रामीण एंव नगरीय समाजशास्त्र, दिल्ली।
4. मुखर्जी रविन्द्रनाथ, (1989) भारतीय समाज एंव संस्कृति, दिल्ली।
5. विद्यामातंण्ड सत्यव्रत (प्रो.) भारत की जनजाति तथा संस्थायें देहरादून।
6. ड़ी. एन. सूर्यवंशी, लक्ष्मी लेकाम (2014) पंचायती राज व्यवस्था–आवश्यकता, महत्व, समस्या व सुझाव, Research J. Humanities and Social Sciences. 5(3): July-September, 2014, 286-289 .

INNO SPACE

SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor: 8.118

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details